

16/09/2020

पत्रावली पेश हुई। मूल बाढ़ से उभयपक्ष अधिकता ने अपनी-2 खातेदारी की भूमि पर काबिज होकर उपयोग-इपयोग करने, एवं एक-दूसरे की आराजीयता में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने पर सहमति देने के कारण, मूल बाढ़ डिकी होने के कारण प्रा.पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्मित सुमार होकर दृष्टार दाखिल हो एवं नम्बर से कम होकर मूल बाढ़ के साथ संलग्न रहे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टीक)

सत्य प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू जिला टीक